

Nomination for Group Insurance scheme प्रारूप क्रमांक

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत लाभ के लिए नाम निर्देशन जब शासकीय कर्मचारी का कोई परिवार हो और वह उसके सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नाम निर्देशित करना चाहता/चाहती हो।

मैं, एतद् द्वारा, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर देय हुई किसी भी रकम को जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत मंजूर की जावे, जो कि मेरे परिवार/के सदस्य है/है, नाम निर्देशित करता/करती हूँ और उसे उन्हें उक्त रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ।

नाम निर्देशित/नामनिर्देशितियों का/के नाम तथा पता/पते	शासकीय कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक को कितना हिस्सा संदत्त किया जाएगा	किन घटनाओं कि के घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जायगा	उस व्यक्ति का नाम तथा पता तथा संबंध यदि कोई हो जिस शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नामनिर्देशित की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशित का अधिकार संक्रांत हो जायगा
1.	2.	3.	4.	5.	6.

टिप्पणी :-शासकीय कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के बाद खाली स्थान के आर-पार एक रेखा खींच देनी चाहिये ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम अंत में स्थापित किया जा सके।

वर्ष माह स्थान

हस्ताक्षर

.....
.....

शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर

इस प्रकार भरा जाना चाहिये कि बीमा योजना के अन्तर्गत संदेय रकम का समावेश ।